क्रम-संख्या—248

रजिस्ट्रेशन नम्बर—जी0—11/लाई0—
न्यूज पेपर/91/05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 26 अक्टूबर, 2006

कार्तिक 4, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1297/सात—वि-1—01—(क) 35-2006

लखनऊ, 26 अक्टूबर, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 23 अक्टूबर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 29 में,—

(क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात :—

"(3) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने के लिए निबन्धक के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशों के अधीन, विहित रीति से, प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व निर्वाचन पूरा करा लिया जायेगा और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य उस प्रबन्ध कमेटी के स्थान पर जिसका कार्यकाल उपधारा (2) के अधीन समाप्त हो गया है, स्थान ग्रहण करेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी असाधारण परिस्थिति के कारण प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन पूरा न करा लिया गया हो, या पूरा न किया जा सका हो, निबन्धक अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, पदावरोही प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल में इस प्रकार विस्तार कर सकता है कि कोई एक विस्तार तीन मास से अधिक का नहीं होगा और कुल विस्तार छः मास से अधिक नहीं होगा और निबन्धक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस प्रकार विस्तार किये गये कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व प्रबन्ध कमेटी को पुनर्गठित कराये और नव पुनर्गठित प्रबन्ध कमेटी अपने पुनर्गठन के दिनांक से पदावरोही प्रबन्ध कमेटी को, जो उक्त दिनांक से कार्य नहीं करेगी, प्रतिस्थापित करेगी :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक या प्रशासक कमेटी, जैसी वह उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2006 के पूर्व विद्यमान थी, प्रबन्ध कमेटी की शक्ति का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन इस अधिनियम के अधीन प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन होने या 31 दिसम्बर, 2006 तक इनमें जो भी पहले हो, करती रहेगी ।"

(ख) उपधारा (5) (6) एवं (7) निकाल दी जायेंगी ।

उद्देश्य और कारण

ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरूज्जीवन पर प्रो० ए० वैद्यनाथन की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा गठित कार्यबल और माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार समिति की संस्तुति पर यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966) में संशोधन करके सहकारी समितियों में प्रशासक/प्रशासकों की कमेटी की नियुक्ति से सम्बन्धित उपबन्धों को निकाल दिया जाय जिससे सहकारी समितियों के प्रजातान्त्रिक उद्देश्य को बनाए रखा जा सके, सहकारी समितियों के कार्यकलापों में राजनैतिक हस्तक्षेप को रोका जा सके और सदस्यों की प्रभावी सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके।

तदनुसार उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
राज मणि चौहान,
प्रमुख सचिव।

No. 1297/VII-V-1–1(Ka)35-2006

Dated Lucknow, October 26, 2006

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 30 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 23, 2006 :—

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2006

(U.P. ACT NO. 30 of 2006)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2006.

Amendment of section 29 of U.P. Act no. 11 of 1966

2. In section 29 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965–

(a) *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted*, namely:–

"(3) Election to reconstitute the Committee of Management of a Co-operative Society shall be completed in the prescribed manner under the superintendence, control and direction of the Registrar at least fifteen days before the expiry of the term of the Committee of Management and the members so elected shall replace the Committee of Management whose term expires under sub-section (2) :

Provided that where for any extraordinary circumstances, the election for members of the Committee of Management has not been completed or could not be completed, the Registrar may, for reasons to be recorded, extend the term of the outgoing Committee of Management so however, that any single extension does not exceed three months and the total extension does not exceed six months and it shall be the duty of the Registrar to get the Committee of Management reconstituted before the expiry of the term so extended and the newly reconstituted Committee of Management shall with effect from the date of its reconstitution replace the outgoing Committee of Management which shall cease to function with effect from the said date :

Provided further that notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this Act, the Administrator or the Committee of Administrators appointed under this section, as it stood before the commencement of the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2006 shall continue to exercise the power and perform the duties of the Committee of Management till the Committee of Management is reconstituted under this Act or till December 31, 2006, whichever is earlier."

(b) Sub-sections (5), (6) and (7) shall be *omitted.*

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

On the recommendation of the Task Force on revival of Rural Co-operative Credit Institution constituted by the Government of India under the Chairmanship of Professor A. Vaidyanathan and of th High Power Committee constituted under the Chairmanship of the Hon'able Minister, Public Work Department, Uttar Pradesh, it has been decided to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Ac 1965 (U. P. Act no. 11 of 1966) to omit the provisions relating to the appointment of administrator o committee of administrators in the Co-operative Societies so as to maintain the democratic objectives o the Co-operative Societies, avoid political interfearance and secure the effective participation of the members in the affairs of the Co-operative Societies.

The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2006 is introduced accordingly.

By order,
R. M. CHAUHAN
Pramukh Sachiv

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 2998 राजपत्र– (6140)–2006–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 175 सा० विधा०–(6141)–2006–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसट)।